महेशचंद / शासन आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो0 407–पीबीआर / 14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–5–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस प्रकरण में स्थिति इस प्रकार है कि आवेदक की ओर से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, जो प्रकरण क्रमांक ए 170–पीबीआर / 10 पर दर्ज हुई । उक्त अपील दिनांक 14–10–2010 को अदम पैरवी में निरस्त हुई । इस न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 35 के अंतर्गत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1455–पीबीआर / 10 पर दर्ज हुआ । उक्त पुर्नस्थापन प्रकरण भी दिनांक 23–8–2013 को अदम पैरवी में निरस्त होने पर आवेदक की ओर से यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । 2 संहिता की धारा 35 (2) में पक्षकारों के सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किये जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 35 (2) के अंतर्गत पारित आदेश को अपास्त	

रेस्थ: 407-PBR/14 ग्वालियर

कराने के लिये संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है और संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त होने पर अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त होने पर उसे पुर्नस्थापन कराने के लिये पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है । अतः पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 रेस्टोरेशन - 407 - 984/14

महेशचन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री बी.पी. शर्मा
निवासी शिन्दे की छावनी लश्कर, ग्वालियर
--- --- आवेदक

श्री वी. डी. शर्मा, अभि०
द्वारा आज 3.2.14
प्रस्तुत
3.2.14
क्लर्क ऑफ
राजस्व मण्डल म.प्र.
3.45 PM

बनाम

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा उप-पंजीयक, ग्वालियर
(2) श्रीमती राजू जोशी पत्नीस्व. श्री भोलानाथ जोशी
(3) कु. हर्षा पुत्री स्व. श्री भोलानाथ जोशी
(4) हर्ष पुत्र स्व. श्री भोलानाथ जोशी
समस्त 2 लगायत 4 निवासीगण फोरेस्ट आफिस मल्लीताल, नैनीताल हाल निवासी द्वारा- दिनेश चन्द जोशी वीरशिवा स्कूल के पास, पोस्ट हल्दवानी जिला नैनीताल (उत्तरांचल)
--- --- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता वास्ते रेस्टोरेशन ~~अपील~~ प्रकरण क्रमांक 1455/2010 अपील स्टाम्प व उन्वान महेशचन्द शर्मा बनाम मध्यप्रदेश शासन आदि
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ग्वालियर शपथ आयुक्त